

रिपोर्ट पटवारी: श्रीमान जी से विवेक है कि जर्घी का नाम राजस्व में भंवराराम पुत्र मूलाराम दर्ज है जबकि जर्घी द्वारा प्रस्तुत भूमि में (आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र) में नाम भंवरलाल पुत्र मूलाराम दर्ज है। अतः जर्घी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में भंवरलाल पुत्र मूलाराम जति जाट दर्ज करवाने हेतु वृद्धिपत्र श्रीमान जी की सेवा में सादर पेश है।

29/05/23

रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक: पटवारी रिपोर्ट एवं जर्घी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर जर्घी का नाम ~~भंवरलाल~~ भंवराराम पुत्र मूलाराम के स्थान पर भंवरलाल पुत्र मूलाराम जति जाट निवासी गौराड की जाने की अभिशंखा की जाती है।

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार: 29/05/23

क्रमांक/शुद्धि/136/2023/02

दिनांक 3/5/2023

मुद्रांकित रिपोर्ट भू.अ.नि. एवं पन्हा आदेश का नाम भंवराराम के स्थान पर भंवरलाल मुद्रांकित जति जाट अर्थात्

“प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023”

तहसीलदार(भू.अ.) जायल तहसीलदार (भू.अ.) जायल


“CS आदेश का अंश के लिए प्रस्ताव”



क्रमांक-136/2023/02

दिनांक:- 3-05-2023

जर्घी भंवराराम पुत्र मूलाराम ग्राम गौराड के खाल संख्या 474 में द्वारा 136 के तहत जर्घीवा पत्र पेश किया जिसमें जर्घी का मूल नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं पहचान पत्र रजिस्ट्रार में भंवरलाल पुत्र मूलाराम है। जबकि राशन कार्ड में भंवराराम पुत्र मूलाराम का नाम वृद्धिकरण की प्रक्रिया द्वारा 136 के तहत पटवारी रुका रोड, वृ.अ.नि. दुगौली व तहसीलदार जायल की रिपोर्ट की अभिशंखा के आधार पर जर्घी का मूल नाम राजस्व रिकॉर्ड में मूलक इरामड करने का आदेश दिया जाता है।


 अधिकारी
 प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023
 उपखण्ड अधिकारी, जायल